उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या-497/2025/8-3099/1743/2020 पार्ट-3
लखनऊ: दिनांक: 20 मई, 2025

अधिसूचना

चूँकि, सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18, सन् 2016) की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (दो) के अनुसरण में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को, स्वैच्छिक आधार पर, ऑनलाइन प्रणाली त्वरित एवं सरलीकृत विश्वास-आधारित योजना अनुमोदन प्रणाली (फास्टपास) पर रजिस्ट्रीकरण के दौरान, आवेदकों के अधिप्रमाणन के लिए हां/नहीं या/और ईकेवाईसी अधिप्रमाणन सुविधाओं का उपयोग करके आधार अधिप्रमाणन के संपादन के लिए, केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

अतएव अब, उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसरण में, राज्यपाल, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के विकास प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में भवनों/भूखंडों के मानचित्रों की ऑनलाइन स्वीकृति के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हां/नहीं या/और ईकेवाईसी अधिप्रमाणन सुविधाओं का उपयोग करते हुए ऑनलाइन प्रणाली- त्वरित एवं सरलीकृत विश्वास आधारित योजना अनुमोदन प्रणाली (फास्टपास) पोर्टल- पर पंजीकरण के दौरान आवेदकों के प्रमाणीकरण के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, आधार अधिप्रमाणन के संपादन को अधिसूचित करते हैं :-

(एक) आवेदकों का अधिप्रमाणन ;

(दो) छद्म/प्रॉक्सी आवेदकों की रोकथाम।

2- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 एवं

तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों तथा आधार अधिप्रमाणन के उपयोग के संबंध में विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करेगा।

3- यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

पी0 गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव

संख्या-497/2025(1)/8-3099/1743/2020 पार्ट-3-तद्दिनांक

प्रतिलिपिः- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 20.05.2025 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-क में प्रकाशित कराते हुए 5-5 प्रति सम्बन्धित विभागों तथा 100 प्रतियां आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव

संख्या-497/2025(2)/8-3099/1743/2020 पार्ट-3-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
7. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
10. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
11. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
12. सचिव, उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ।
13. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

14. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
15. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
16. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव

Uttar Pradesh Shasan
Aawaas evam Shahri Niyojan Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 497/2025/8-3099/1743/2020 Part-3 dated २०May, 2025 :

Notification

No. 497/2025/8-3099/1743/2020 Part-3
Lucknow; Dated:२०May, 2025

WHEREAS in pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016) read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Housing and Urban Planning Department, Uttar Pradesh, has been authorized by the Central Government for performance of Aadhaar authentication, on a voluntary basis, for authentication of applicants during registration on the online system — Fast and Simplified Trust-Based Plan Approval System — using Yes/No or/and eKYC authentication facilities;

NOW, THEREFORE, in pursuance of rule 5 of the aforesaid rules, the Governor is pleased to notify the performance of Aadhaar authentication, on a voluntary basis, for authentication of applicants during registration on the online system — Fast and Simplified Trust-Based Plan Approval System (FASTPAS) portal — using Yes/No or/and eKYC authentication facilities by the Housing and Urban Planning Department, Government of Uttar Pradesh for online sanctioning of maps of buildings / plots in the Uttar Pradesh Avas evam Vikas Parishad and development authorities of the Housing and Urban Planning Department, Government of Uttar Pradesh for the following purposes:-

i. authentication of applicants;

ii. prevention of impersonation/proxy applicants.

2- Housing and Urban Planning Department, Government of Uttar Pradesh shall adhere to the relevant provisions of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, rules and regulations made thereunder and guidelines issued by the Unique Identification Authority, Government of India regarding the use of Aadhaar authentication.

3- This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order.

(P. Guruprasad)
Principal Secretary.